

हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग

संख्या-पीसीएच-एचए-(1)11/2010-1-जे0ई0रूल-

तारीख, शिमला-171009,-05-09-2024

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद् मे कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति और सेवा शर्तों) नियम, 2024 को इस विभाग की समसंख्यम अधिसूचना तारीख 12 जून, 2024 द्वारा, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 4) की धारा 186 के उपबंधों के अधीन यथा अपेक्षित जन साधारण से आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए, तारीख 28 जून, 2024 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के दौरान प्राप्त हुए आक्षेप (पों)/ सुझाव (वों) पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 4) की धारा 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-


- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद् संवर्ग में कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति और सेवा शर्तों) नियम, 2024 है।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएं। 2. (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है;
(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है; और
(ग) "हिमाचल का वास्तविक निवासी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो समय-समय पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रकार परिभाषित किया गया है।
(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और किन्तु परिभाषित नहीं है, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।
- निरसन और व्यावृत्तियाँ। 3. (1) अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए-(1)11/2010-1 तारीख 15.07.2013 द्वारा अधिसूचित और तारीख 20.07.2013 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद् में कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति और सेवा शर्तों) नियम, 2013 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा
सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ०सं०-उपरोक्त- 38484-38646 तारीख, शिमला-171009, -05-09-2024
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार।
2. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त जिला पंचायत अधिकारी एवम् सचिव जिला परिषद, हिमाचल प्रदेश।
5. प्राचार्य पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान मशोबरा/बैजनाथ/थुनाग, हिमाचल प्रदेश।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति, हि०प्र०।


विशेष सचिव (पंचायती राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला-9, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद संवर्ग में कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति और सेवा शर्तों) नियम, 2024

- 1 पद का नाम। कनिष्ठ अभियन्ता (जिला परिषद संवर्ग)
- 2 पद (पदों) की संख्या। कनिष्ठ अभियन्ताओं के पदों की, अपने अपने जिला संवर्गों में, ऐसी संख्या होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा मंजूर की गई हो और समय समय पर मंजूर की जाए।
- 3 वर्गीकरण। वर्ग-III (अराजपत्रित)
- 4 वेतनमान। (i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैंड: अधिसूचना संख्या-पीसीएच-एच बी (15) 01 / 2022-पे रिविजन-60236- 62336, तारीख 23-09-2022 के साथ संलग्न पे मैट्रिक्स का लेवल-II
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए अधिसूचना संख्या - पीसीएच-एच बी (15) 01 / 2022 -पे रिविजन-60236- 62336, तारीख 23-09-2022 के अनुसार तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू लेवल कोष्ठ का साथ प्रतिशत।
- 5 “चयन” पद या “अचयन” पद। अचयन
- 6 सीधी भर्ती के लिए 18 से 45 वर्ष: आयु।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा:
परन्तु यह और कि ऊपरी आयु में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:
परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो

ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेसन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

- (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथारिथति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
- (2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, राज्य सरकार के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7 सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।

(क) अनिवार्य अर्हताएं:

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम पचास प्रतिशत अंकों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पैंतालिस प्रतिशत अंकों सहित सिविल इंजिनियरिंग में डिप्लोमा या सिविल इंजिनियरिंग में स्नातक/सिविल इंजिनियरिंग में प्रौद्योगिकी स्नातक।

(ख) वांछनीय अर्हता:

हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8 सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता(एं) प्रोन्नत व्यक्ति व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं।

आयु: लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताएं: लागू नहीं।

9 परिवीक्षा की अवधि

(क) दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा मुख्य

- यदि कोई हो।
- कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।
- (ख) संविदा के आधार पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।
- 10 भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी
प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट /स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता।
- (क) पच्चीस प्रतिशत संविदा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा,
(ख) पचहतर प्रतिशत नियम 11 में यथा उपबंधित रीति में राज्य स्तर पर अनुरक्षित पारस्परिक वरिष्ठता के आधार पर तकनीकी सहायकों के प्रवर्ग में से प्रोन्नति द्वारा।
- 11 प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट /स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट /स्थानांतरण किया जाएगा।
- तकनीकी सहायकों के प्रवर्ग में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पाँच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पाँच वर्ष का सेवाकाल हो।
- 12 यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी सरचना।
- जैसी निदेशक, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
- 13 भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
- 14 सीधी भर्ती करने के लिए अनिवार्य अपेक्षा।
- किसी सेवा या पद की नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी भारत का नगरिक होना आवश्यक है।
- 15 सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।
- सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण और /या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
- 15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के
- इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियाँ नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अधीन की जाएगी:

लिए चयन।

(I) संकल्पना:

(क) इस पॉलिसी के अधीन जिला परिषद् संवर्ग में कनिष्ठ अभियन्ता को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना:

निदेशक पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां:

संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता को अधिसूचना संख्या - पीसीएच-एचबी(15)01/2022-पे रिविजन-60236-62336, तारीख 23-09-2022 के अनुसार समेकित नियत संविदात्मक रकम 23100/- प्रति मास की दर से (जो तत्स्थानी संवर्ग के पे मैट्रिक्स के लागू के प्रथम कोष्ठ का साठ प्रतिशत होगा) संदत्त की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी:

सम्बद्ध जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया:

सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखत परीक्षा के गुणागुण और/या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग/ अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति:

जैसी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा

समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करार:

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न प्ररूप-II के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें:

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता को अधिसूचना संख्या - पीसीएच- एचबी (15) 01/2022-पे रिविजन - 60236-62336, तारीख 23-09-2022 के अनुसार 23100/- रूपए प्रति मास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो तत्स्थानी संवर्ग के वेतन पे मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ के 60 प्रतिशत होगा) संदत्त की जाएगी।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर, अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैंडर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकरिभक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूती अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाए किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकरिभक अवकाश, चिकित्सा

अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

- (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि, आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितकरण के मामलों में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा;

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

- (ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर राज्य के भीतर अन्य जिला परिषद में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण के लिए पात्र होगा, और उसकी सेवाएं पैतृक जिला परिषद में निहित रहेगी।

- (च) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना अरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा, जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती हैं। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई

जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

- (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
- (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0- एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी बीमा स्कीम के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16 आरक्षण।

सेवा में नियुक्त हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय - समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन - जातियों अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17 विभागीय परीक्षा।

सेवा के सदस्यों को परीक्षा अर्हित करनी होगी या प्रशिक्षण के लिए ऐसा कोर्स करना होगा जैसा निदेशक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

18 नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए सेवा की शर्तें।

नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में सेवा की अन्य शर्तें जो राज्य सरकार के समतुल्य पद/ग्रेड के कर्मचारियों को यथा लागू है, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।

19 नियुक्ति प्राधिकारी और पंचायतों का आवंटन।

- (1) निदेशक, पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश की सिफारिश के पश्चात् सम्बद्ध जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी होगा। नियुक्ति पत्र प्ररूप-1 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् द्वारा जारी किया जाएगा और वह किसी कनिष्ठ अभियन्ता को पंचायत समिति आवंटित करेगा।
- (2) जिला परिषद् का सचिव, जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति के परामर्श से पंचायतों का वृत्त इस प्रकार से बनाएगा ताकि पंचायतों का समीप्य सुनिश्चित किया जा सके। इन

वृत्तों को सचिव जिला परिषद् द्वारा अधिसूचित किया जाएगा और उक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि निदेशक, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश को उपलब्ध करवाई जाएगी। कनिष्ठ अभियन्ता के वृत्त एक बार अधिसूचित हो जाने पर उसे जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पुरवानुमोदन के बिना नहीं बदला जाएगा। सचिव, जिला परिषद् द्वारा एक कनिष्ठ अभिन्यता को एक ही वृत्त आवंटित किया जाएगा।

(3) सम्बद्ध पंचायत समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवास कार्यक्रम, हाजिरी, आकस्मिक अवकाश और कार्य तथा आचरण इत्यादि के लिए नियंत्रण अधिकारी होगा।

20 कनिष्ठ अभियन्ता की वरिष्ठता।

नियमित कनिष्ठ अभियन्ताओं की वरिष्ठता राज्य सरकार द्वारा समय पर जारी नियमों/अनुदेशों के अनुसार कनिष्ठ अभियन्ता के पद की भर्ती और प्रोन्नति के पश्चात् अवधारित की जाएगी।

21 जॉब चार्ट।

कनिष्ठ अभियन्ता का जॉब चार्ट ऐसा होगा, जैसा निदेशक, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

22 न्यू पेंशन स्कीम।

नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली न्यू पेंशन स्कीम की सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।

23 शिथिल करने की शक्ति।

जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

प्रारूप- I
[नियम 19 (1) देखें]

नियुक्ति पत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पत्नी/पुत्री, श्री.....
.... निवासी गाँव.....तहसील.....जिला..... से कनिष्ठ
अभियन्ता के पद के लिए प्राप्त आवेदन के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि उक्त
श्री/श्रीमती/कुमारी को उक्त पद के लिए चयनित किया गया है। इसलिए,
उसे निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों पर कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में नियुक्ति प्रस्थापित की
जाती है:-

1. उसे प्रतिमास रूपए (अंको में) (अक्षरों में) का पारिश्रमिक
संदत किया जाएगा।
2. कोई अन्य भत्ता, जैसा भी राज्य सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर अनुज्ञेय है,
उसे संदत नहीं किया जाएगा।
3. नियुक्ति, संविदा आधार पर, कार्यग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए
होगी जिसे नियमों के उपबन्धों के अनुसार विस्तारित किया जा सकेगा।
4. नियुक्ति, नियमों और करार में अधिकथित निबन्धनों और शर्तों के भी अध्यक्षीन होगी।
5. कार्यग्रहण रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, कार्यकारी मजिस्ट्रेट या पिछले कम से कम तीन
वर्ष से उसे जानने वाले दो राजपत्रित अधिकारियों से, जिला परिषद् के समाधान के
लिए, पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
6. नियुक्ति, पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व, सम्बद्ध जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी
द्वारा जारी आरोग्य प्रमाण पत्र जारी करने के अध्यक्षीन होगी।
7. यथास्थिति, शैक्षिक अर्हताओं, जाति, स्थायी निवासी, शारीरिक अक्षमता, गरीबी रेखा से
नीचे से संबन्धित सदस्य या पूर्व अनुभव की बाबत, मूल प्रमाणपत्रों की अनुप्रमाणित
प्रतियां कार्यग्रहण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

यदि उसे उपरोक्त निबन्धन और शर्तें स्वीकार्य हैं, तो वह, अधोहस्ताक्षरी के
कार्यालय में तुरन्त, किन्तु इस नियुक्ति पत्र के जारी करने की तारीख से पन्द्रह दिन के
अपश्चात्, संविदा करार के निष्पादन के साथ-साथ कार्यग्रहण के लिए रिपोर्ट कर
सकेगा/सकेगी।

स्थान

तारीख.....

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिला परिषद्

जिला.....

हिमाचल प्रदेश।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

.....

प्रारूप- II

[नियम 15-क (Vi) देखें]

करार

कनिष्ठ अभियन्ता और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्.....नियुक्त प्राधिकारी का पदनाम के मध्य निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारूप

यह करार श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री श्री..... निवासी संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और मुख्य कार्यकारी अधिकारीजिला परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के मध्य आज तारीख को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:-

1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में से प्रारम्भ होने और को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात् को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ता की 23100/-रूपए प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो तत्स्थानी संवर्ग के वेतन पे मैट्रिक्स के लागू लेवल के प्रथम कोष्ठ के 60 प्रतिशत होगा) संदत्त की जाएगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्त पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसान (सामापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्त प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।
4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन के अनधिक प्रसूति अवकाश (जिवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0

आदि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाए अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समाप्न) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियंत्रण से बाहर हो तो उसके नियमितकरण के मामलों में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस वावत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा; परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा।
6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा। जहाँ भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हों।
7. चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी, अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, जिन्हें परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हें प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्तों के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पाई जाती है, को अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवावस्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी का प्रसवावस्था की तारीख के छह सप्ताह के पश्चात् चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा और यदि वह उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी से आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो वह उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के संबन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामुहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1.....

.....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

2.....

(Authoritative English text of this Department Notification No. PCH-HA (1) 11/2010-I-J.E. Rule, Dated ~~05.09.2024~~ as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

**Government of Himachal Pradesh
Department of Panchayati Raj.**

No.PCH-HA-(1)11/2010-I-J.E.Rule-

Dated, Shimla-171009, - 05-09-2024

Notification

Whereas the draft Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Service of Junior Engineer in Zila Parishads) Rules, 2024 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 28th June, 2024 for inviting objections and suggestions from the general public, vide this department notification of even number dated 12th June, 2024 as required under the provisions of section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994);

And whereas, the objection(s)/suggestion(s) received during the stipulated period have been duly considered by the State Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:-

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Services of Junior Engineer in Zila Parishad Cadre) Rules, 2024.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra(e-Gazette), Himchal Pradesh.

Definitions.

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,--
 - (a)“Act” means the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994;
 - (b)“Form” means a form appended to these rules; and
 - (c)“Bonafide Himachali” means a person who has been defined as such by the Government of Himachal Pradesh from time to time.
- (2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

Repeal and savings.

3.

- (1) The Himachal Pradesh Panchayati Raj (Appointment and Conditions of Service of Junior Engineer in Zila Parishads) Rules, 2013 notified vide notification number PCH-HA-(1)11/2010-I, dated 15.07.2013 and published in the Rajpatra Himachal Pradesh dated 20.07.2013 are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken, under the rules so repealed, shall be deemed to have been validly made, done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order
Secretary (Panchayati Raj) to the
Government of Himachal Pradesh.

38484-38646

No. PCH-HA-(1) 11/2010-I-J.E. Rule-

Dated, Shimla-171009, - 05-09-2024

Copy of the above is forwarded to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. All the Deputy Commissioners in Himachal Pradesh.
3. All the Chief Executive Officer, Zila Parishad, Himachal Pradesh, H.P.
4. All the District Panchayat Officers-cum-Secretary Zila Parishad, H.P.
5. The Principals PRTI, Mashobra, Thunag and Baijnath.
6. All the Block Development Officers-cum-Chief Executive Officers (Panchayat Samiti) in Himachal Pradesh.

Special Secretary (Panchayati Raj) to the
Government of Himachal Pradesh,
Shimal-9, Himachal Pradesh.

Annexure- "A"

HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (APPOINTMENT AND CONDITIONS OF SERVICES OF JUNIOR ENGINEERS IN ZILA PARISHAD CADRE) RULES, 2024.

1	Name of the post	Junior Engineer (Zila Parishad Cadre)
2	Number of the post(s).	There shall be such number of posts of Junior Engineer as sanctioned and may be sanctioned by the State Government from time to time in the respective Zila Parishads cadre.
3	Classification	Class-III (Non-Gazetted)
4	Scale of Pay.	<p>(i) <u>Pay Band for regular incumbents:</u> Level 11 of the pay matrix attached with notification No- PCH-HB (15) 01/2022- Pay Revision-60236-62336, dated 23-09-2022.</p> <p>(ii) <u>Emoluments for contract employees:</u> 60 percent of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre, as per notification no. PCH-HB(15) 01/2022-Pay Revision-60236-62336, dated 23-09-2022</p>
5	Whether "Selection" Post or Non-Selection Post.	Non-Selection.
6	Age for direct recruitment.	<p>18 to 45 years:</p> <p>Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:</p> <p>Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:</p> <p>Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Categories of persons to the extent permissible under the General or Special Order(s) of the State Government:-</p>

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporation/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

(2) Age and experience, in the case of direct appointment, are relaxable at the discretion of the State Government in case the candidate is otherwise well qualified.

7 Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).

(a) Essential Qualifications:

Diploma in Civil Engineering or Bachelor of Civil Engineering/ Bachelor of Technology in Civil Engineering with minimum 50% marks from any recognized University or Institution duly recognized by Central and State Government and 45 % marks for SC/ST candidates.

(b) Desirable Qualification

Knowledge of customs, manners and dialect of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar condition prevailing in the Pradesh.

8 Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit (s) will apply in the case of the promotee(s).

Age : N.A.

Educational qualifications: N/A.

- 9 Period of probation, if any. (a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year, as may be ordered by the Chief Executive Officer, Zila Parishad in special circumstances and reasons thereof to be recorded in writing.
(b) No probation in case of appointment on contract basis.
- 10 Method(s) of appointment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods. (a) 25 % by direct recruitment on contract basis
(b) 75 % by promotion from amongst the category of Technical Assistants, on the basis of inter-seniority maintained at the State level, in a manner as provided in rule 11.
- 11 In case of recruitment by promotion/ secondment/transfer, grade(s) from which promotion/ secondment /transfer is to be made. By promotion from amongst the category of Technical Assistants having 5 year's regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.
- 12 If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition ? As may be constituted by the Director, Panchayati Raj Department Himachal Pradesh from time to time.
- 13 Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (HPPSC) is to be consulted in making recruitment As required under the Law.
- 14 Essential requirement for direct recruitment. A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
- 15 Selection for appointment to the post by direct recruitment. Selection for appointment to the post in case of direct recruitment, shall be made by on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other Recruitment Agency/authority as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type) / written test or practical test, standard / syllabus etc. of which, will be determined by the Commission or other Recruiting Agency/authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by Contract Appointment. Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(1) CONCEPT:

- (a) Under this policy the Junior Engineer in Zila Parishad Cadre will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis, the concerned Chief Executive Officer, Zila Parishad shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed / extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC:

The Director, Panchayati Raj, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the State Government to fill up the vacant post(s) on contract basis will place the requisition with the Himachal Pradesh Public Service Commission.

- (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions specified in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Junior Engineer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ 23100/-P.M. (which shall 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre) as per notification no. PCH-HB(15) 01/2022-Pay Revision-60236-62336, dated 23-09-2022.

(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Chief Executive Officer of the concerned Zila Parishad will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment shall be made on the basis of a

written examination and/or practical test or skill test or physical test, the standard/syllabus etc. will be determined by Himachal Public Service Commission/ Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur/ or other recruiting agency/authority, as the case may be.

(V) CONTRACTUAL APPOINTMENTS COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT:

As may be constituted by the HPPSC from time to time.

(VI) AGREEMENT:

After appointment of a candidate, he/she shall sign an Agreement as per Form-II appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

- (a) The Junior Engineer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 23100/- P.M. (which shall be 60% of the first cell of the applicable level of pay matrix of the corresponding cadre) as per notification no. PCH-HB(15) 01/2022-Pay Revision-60236-62336, dated 23-09-2022.
- (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the appointing authority, he/she may prefer an appeal before the appellate authority, who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination order is delivered to him/her".
- (c) Contract Appointee will be entitled for one day's causal leave after putting one month service, 10 day's medical leave and 5 days special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract

appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

- (d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from the duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer as per prevailing instructions of the Government.

- (e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis within the State in other Zila Parishad on administrative ground and his/her services shall be borne by the parent Zila Parishad.
- (f) Selected candidate will have to submit a certificate

of his/her fitness issued by a Medical Board in case of gazetted Government Servant and by the Government Medical Officer in the case of non gazetted Government Servant. In case of women candidates, who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties and if in case they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidate; who as a result of test is found to be pregnant for twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held in abeyance until the confinement is over. Such women candidate be re-examined for medical fitness six weeks after the date of confinement and if she is found fit on production of medical fitness certificate from the authority as specifies above, she may be appointed to the post kept reserved for her.

- (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA, if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
- (h) Provisions of service rules like FRSR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules, Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The employee's Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to Contract Appointee(s).

16 Reservation.

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Backward Classes/Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17 Departmental Examination.

The members of the service shall have to qualify examination or to undergo such courses for training to be specified by the Director. from time to time.

- 18 Conditions of Service for regular appointees. The other conditions of service in the case of regular appointees shall apply mutatis-mutandis as are applicable in the case of State Government employee of equivalent position/grade.
- 19 Appointing Authority and allocation of Panchayats. (1) After recommendation of Director, Panchayati Raj, Himachal Pradesh the Chief Executive Officer of concerned Zila Parishad shall be the appointing authority. Letter of appointment shall be issued by the Chief Executive Officer, Zila Parishad, in FORM-I and he shall allocate the Panchayat Samiti to a Junior Engineer.
- (2) The Secretary of Zila Parishad, with the prior approval of the Chief Executive Officer of Zila Parishad shall make circle of the Panchayats in consultation with Chief Executive Officer, Panchayat Samiti in such a way that contiguity of the Panchayats in the circle is ensured. These circles shall be notified by Secretary Zila Parishad and copy of the said notification shall be supplied to the Director, Panchayati Raj Himachal Pradesh. Junior Engineer Circle once notified shall not be changed without prior approval of the Chief Executive Officer of Zila Parishad. One Junior Engineer shall be allocated one circle by Secretary Zila Parishad.
- (3) The Chief Executive Officer of the concerned Panchayat Samiti shall be the controlling officer for tour program, attendance, casual leave and work and conduct etc. of the Junior Engineer.
- 20 Seniority of Junior Engineer. The seniority of the regular Junior Engineers shall be determined after recruitment/promotion to the post of Junior Engineer as per rules/instructions issued by the State Government from time to time.
- 21 Job Chart. The job chart for the Junior Engineer shall be such as may be specified by the Director, Panchayati Raj Himachal Pradesh from time to time.
- 22 New Pension Scheme. The Regular appointees shall be entitled for availing the facility of New Pension Scheme as may be notified by the State Government.

23 Power to relax.

Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

FORM-I
[See rule 19(1)]

APPOINTMENT LETTER

With reference to the application for the post of Junior Engineer received from Shri/Smt./Kumari son/wife/daughter of Shri resident of village, Tehsil, District it is informed that the said Shri/Smt./Kumari has been selected for the said post. Therefore, he/she is hereby offered appointment as Junior Engineer on the following Terms and Conditions:-

1. There shall be paid to him a remuneration of rupees (in figures) (in words) per month.
2. Other allowance, whatsoever admissible to the employees of State Government from time to time shall be paid to him.
3. The appointment shall be on contract basis for a period of one year from the date of joining; which may be extended as per the provisions of the rules.
4. The appointment shall further be subject to terms and conditions laid down in the rules and agreement.
5. The antecedent verification certificate to the satisfaction of the Zila Parishad from the Executive Magistrate or two Gazetted officers known to him at least for the last three years shall be given by him at the time of submission of joining report.
6. The appointment shall be subject to the production of Certificate of Medical Fitness issued by the Chief Medical Officer of the concerned district before joining to the post.
7. The attested copies of original certificates in respect of educational qualifications, caste, bonafide resident, physically handicapped, member belonging to below poverty line or past experience, as the case may be, shall be submitted along with joining report.

In case, the above terms and conditions are acceptable to him, he/she may report for execution of the contract agreement as well as for joining duty in the office of undersigned immediately but not later than fifteen days from the date of issue of this appointment letter.

Place :

Date :

Shri/Smt./Kr. _____

Chief Executive Officer,
Zila Parishad _____
District _____
Himachal Pradesh.

FORM-II
[See rule 15-A(VI)]

AGREEMENT

Form of contract/agreement to be executed between the Junior Engineer and the Chief Executive Officer, Zila Parishad _____ Designation of the Appointing Authority).

This agreement is made on this _____ day of _____ in the year _____ Between Sh./Smt./Kumari _____ S/o/D/o/W/o Shri _____ R/o _____ Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND the Zila Parishad _____ through its Chief Executive Officer (hereinafter referred to as the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Junior Engineer on contract basis on the following terms and conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Junior Engineer for a period of 1 (one) year commencing on day of _____ and ending on the day of _____. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on _____ and information notice shall not be necessary:

Provided that for further extension/renewal of contract period the Chief Executive Officer, Panchayat Samiti shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.23100/- per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory. In case the contract appointee is not satisfied with the termination orders issued by the appointing authority, he/she may prefer an appeal before the appellate authority, who shall be higher in rank to the Appointing Authority, within a period of 45 days, from the date on which a copy of termination order is delivered to him/her.
4. Contract Appointee will be entitled for one day causal leave after putting one month service. 10 days medical leave and 5 days special leave in a calendar year. A female contract appointee with less than two surviving children may be granted maternity leave for 180 days. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. A contract employee shall not be

entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from the duty were beyond his/her control on medical ground, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting shall be eligible for transfer on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness issued by the Medical Board in case of a Gazetted Government Servant and by the Government Medical Officer, in the case of Non-Government Servant. In case of women candidates, who are to be appointed against posts carrying hazardous nature of duties and if in case they have to complete a period of training as a condition of service, such women candidate, who as result of test is found to be pregnant for twelve weeks standing or more shall be declared temporarily unfit and her appointment shall be held abeyance until the confinement is over. Such women candidate be re-examined for medical fitness after six weeks after the date of confinement and if she is found fit on produce of Medical fitness certificate from the authority, as specifies above, she may be appointed for the post kept reserved for her.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.

(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2.

(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1.

(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2.

(Name and Full Address)